

14/02/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रत्येक शरण उप
बध्द शर्जना - पत्र सुनी गई। पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजात व अप्राप्ति
द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन
किया। शर्जना का शर्जना - पत्र
स्वीकार योग्य होने से स्वीकार

हुक्म या कायवाहा मय इनाशयल्स जज

हुक्म की
में जारी

किया जाता है। आदेश पृथक से
लिखवाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया। निर्णय की पालना
हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर
जारी हो।

पत्रावली कैसल नुमार होकर
नम्बर से काम की जाकर दायित्व
दाफ्तर हो।

